न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 13/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, देलदर जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. मृतक श्री उमेदिंग पुत्र श्री नवा जाति पुरोहित के कायम मुकाम–
   - 1.1 श्रीमती दरियादेवी पत्नि स्व. श्री उमेदिंग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 1.2 श्री फुलाराम पुत्र स्व. श्री उमेदिंग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 1.3 सुश्री दामिनी पुत्री, स्व. श्री उमेदिंग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 1.4 सुश्री जमना पुत्री स्व. श्री उमेदिंग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 1.5 सुश्री संगीता पुत्री स्व. श्री उमेदिंग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (तहसीलदार, देलदर)
2. श्री राजेन्द्रपुरी, अप्रार्थी अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 18.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मुदरला पटवार मण्डल आमथला, तह. देलदर जिला सिरोही के खसरा नं. 613 रकबा [illegible] उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/722 दिनांक 23.01.1977 द्वारा अप्र[illegible] श्री [illegible]दिंग पुत्र श्री नवा जाति पुरोहित को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या [illegible] 1977 द्वारा अप्रार्थी के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान [illegible] राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया [illegible] का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान क्रमशः 1.1 से 1.5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 613 रकबा 1.16 बीघा किस्म नहरी–2 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री उमेदिंग पुत्र श्री नवा जाति पुरोहित को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । उक्त भूमि अप्रार्थी के देहान्त के पश्चात उनके वारिसानों के नाम से गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीयान का कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान क्रमशः 1.1 से 1.5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 613 रकबा 1.16 बीघा किस्म नहरी–2 पर अप्रार्थीगण का कब्जा कोश्त है। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय से ही अप्रार्थी संख्या एक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं उक्त आवंटन किए हुए 45 वर्षों की अवधि गुजर चुकी है, तब से आंवटित मौके पर काबिज होकर प्रार्थी की देखरेख में काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा गलत मौका रिपोर्ट बना कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि कानूनन आवंटन हुए कृषि आराजी को 45 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं कानूनन खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है जबकि राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व था कि कृषि भूमि को आवंटित होने के 3 वर्ष पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करना चाहिए था, जो राजस्व अधिकारियों की भूल से दर्ज नहीं हो पाया, बल्कि कानूनन में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटन होने के 3 वर्ष पश्चात आंवटित के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करने चाहिए थी ऐसी स्थिति में स्वतः ही खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं कानूनन खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह है कि आंवटन उस स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जो आंवटित द्वारा कपटपूर्वक फर्जी तरीके से आवंटन कराया हो, जबकि प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आरोप नहीं है। यह है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि आराजी बाबत् विगोटी की राशि राजस्व अधिकारियों को अदा की और जिसकी रसीद उम्मेदिंग के नाम से जारी की गई एवं खसरा गिरदावरी संवत 2033 से लगातार काश्त करता आ रहा है एवं संवत 2029 में भी उम्मेदिंग के पिताजी श्री नवाजी के द्वारा चने की फसल बोई है, तत्पश्चात संवत 2034 से लगातार आज दिन तक खसरा गिरदावरी में फसल दर्ज है, जिससे स्पष्टतया प्रमाणित है कि प्रा[illegible] आराजी पर काश्त करते आ रहे है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया [illegible] न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि कृषि भूमि आंवटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आदेश क्रमांक 722 दिनांक 23.01.1977 के द्वारा श्री उमेदिंग पुत्र श्री नवा जाति पुरोहित को मौजा मुदरला पटवार हल्का आमथला तहसील देलदर जिला सिरोही के खसरा संख्या 613 रकबा 1.16 बीघा किस्म नहरी–2 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आंवटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 04.05.1977 के द्वारा आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आंवटी श्री उमेदिंग पुत्र श्री नवा जाति पुरोहित के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

प्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त आंवटन के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है एवं मौके पर आज भी काबिज है काश्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तो का उल्लघंन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवत 2035 से 2038, 2039 से 2042, 2043 से 2046, 2047 से 2050, 2051 से 2054, 2055 से 2058, 2059 से 2062 2063 से 2066, 2067 से 2070 एवं 2074 में उक्त आंवटित भूमि पर काश्त होना दर्ज है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है एवं मौके पर काबिज है। प्रार्थी पक्ष के द्वारा भी ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया हो। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में उक्त आवंटित भूमि पर काश्त होना दर्ज है। प्रार्थी तहसीलदार देलदर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 17.07.2023 में भी उक्त खसरा संख्या 613 पर अप्रार्थी का कब्जा होना बताया है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधिक दृष्टांत RRT 2001(2) Page 999 में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि 30 वर्ष पूर्व भूमि आंवटित हुई, दस वर्ष बाद आवंटित खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, 30 वर्ष बाद आंवटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। विधिक दृष्टांत RRT 2001(2) Page 1219 में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि 16 वर्षों के बाद आवंटन का निरस्त करना एवं आवंटी को आवंटित भूमि से बेदखल करना न्याय के साथ कुठारघात होगा। इसी प्रकार विधिक दृष्टांत RRT 2016(1) Page 82, RRT 2019(2) Page 838 एवं RRT 2021(2) Page 1029 में भी माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा काफी वर्षों के बाद आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं माना है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि का आवंटन हुए लगभग 45 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार, अप्रार्थीगण के [illegible] भूमि पर अधिकारों को समाप्त करने में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। ऐसी [illegible] विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता [illegible] निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner